कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र स0 619/Admin(B-V)Section Dated March, 02, 2024 के द्वारा दिनांक 02.03.2024 का आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि द्वितीय राष्टीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम जारी शासनादेश संख्या– 140/दो–4–2024–45/2020टी0सी0 दिनांक 28 फरवरी 2024 के अनुसार न्यायिक अधिकारीगण को विभिन्न भत्ते/ सुविधायें प्राप्त करायी गयी हैं। जिसके एरियर के भुगतान हेतु धनराशि की मांग पुनः की जानी है।

उपरोक्त आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय हमीरपुर में कार्यरत एवं जनपद हमीरपुर से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि सभी न्यायिक अधिकारी अपने एरियर का आंकलन स्वयं करेगे तथा वे इस आशय का एक अण्डरटेकिंग भी देंगे कि यदि किसी गलत आंकलन/तथ्यों से अधिक धनराशि का भुगतान होता है तो वे अधिक प्राप्त हुयी धनराशि को वापस करेंगे।

शासनादेश संख्या– 140/दो–4–2024–45/2020टी0सी0 दिनांक 28 फरवरी 2024 के क्रम प्राप्त भत्ते/ सुविधाओं का सारांश निम्न प्रकार हैं–

क्रसं.	भत्ते का प्रकार	राशि दर	लागू दिनांक	टिप्पणी/अन्य तथ्य	सत्यापन हेतु प्रमाण
1	2	3	4	5	6
1.	बाल शिक्षा भत्ता	2250/– प्रतिमाह (स्कूल हेतु) 1 से 12 तक	01.04. 2019	1–डी0ए0 में 50% की वृद्वि पर उक्त दोनों धनराशि 25% बढ जायेगी।	वर्ष 19–20 से अभी तक के अंकपत्र/प्रमाण पत्र छायाप्रति
		6750/– प्रतिमाह (हॉस्टल हेतु)	01.04. 2019	2– यदि पति पत्नी दोनो सरकारी सेवा में है तो एक ही व्यक्ति को भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी	
2.	अतिरिक्त प्रभार भत्ता	मूलवेतन का 10%	01.01. 2016	1–न्यूनतम प्रभार अवधि 10 दिवस 2–अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान का 10% की दर से देय	01.01.2016 से अभी तक प्राप्त अतिरिक्त प्रभार भत्ते का यथासम्भव प्रमाण
3.	वाहन/ परिवाहन भत्ता	10,000/– प्रतिमाह	01.01. 2016	1–चार पहिया वाहन हेतु 2–शासकीय वाहन उपलब्ध होने पर देय नहीं 3–पेट्रोल/डीजल नगरीय क्षेत्रो हेतु 100 लीटर तथा अन्य 75 लीटर प्रतिमाह , स्वप्रमाणपत्र के आधार पर देय 4–कार नही होने पर तथा पूल कार सुविधा नही होने पर उक्त भत्ता देय होगा , किन्तु पेट्रोल/डीजल देय नही होगा	शासकीय वाहन उपलब्ध होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र तिथिवार
		13,500/–प्रतिमाह	01.01. 2021		
4.	बिजली शुल्क	8000 यूनिट प्रतिवर्ष (जिला जज स्तर) 6000 यूनिट प्रतिवर्ष (जिला जज स्तर)	01.01. 2020	प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किए जाने पर होगी।	यथासम्भव प्रमाण रशीदें आदि
5.	जल शुल्क	420 किलोलीटर प्रतिवर्ष (जिला जज स्तर) 336 किलोलीटर प्रतिवर्ष (जिला जज स्तर)	01.01. 2020	प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किए जाने पर होगी	यथासम्भव प्रमाण रशीदें आदि
6.	घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता	10,000/–प्रतिमाह (जिला जज स्तर) 7,500/– प्रतिमाह	01.01. 2020	1–स्वप्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा (समस्त कार्यरत/पेंशनर/फैमिली पेंशनर)	स्वप्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया

		(सिविल जज स्तर)		2– अकुशल कामगर के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन या 10,000/– जो भी अधिक हो (कार्यरत जिला जज समस्त स्तर) 3– अकुशल कामगर के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन का 60% या 7,500/– जो भी अधिक हो (कार्यरत जिला जज समस्त स्तर)	जाएगा
7.	मकान किराया भत्ता	केन्द्र की अधिसूचना 07.07.2017 के अनुसार	01.01. 2020	1–निजी आवास का किराया अनुमन्य किराए से अधिक है तो किराए का मुल्यांकन पी0डब्लू0डी0 अधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा 2–जिला न्यायाधीश का कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा तथा ऐसे मामले में अधिकरी मकान किराया भत्ता आहरित करने के पात्र नही होंगे 3–जिला मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालय क्षेत्र शहरो के वर्गीकरण के 'Z' श्रेणी के अन्तर्गत हैं	यथासम्भव प्रमाण रशीदें आदि
8.	चिकित्सा भत्ता	3000/– प्रतिमाह	01.01. 2016	पेंशनर और पारिवारिक हेतु 4000/–प्रतिमाह (पेंशन के साथ देय)	——
9	समाचार पत्र/ पत्रिकाऐ	1000/– प्रतिमाह (जिला जज स्तर) 700/– प्रतिमाह (जिला जज स्तर)	01.01. 2020	1– जिला जज–समस्त हेतु दो समाचार पत्र और दो पत्रिकाएं 2–सिविल जज–समस्त स्तर हेतु दो समाचार पत्र और एक पत्रिका 3–प्रतिपूर्ति स्वप्रमाण के आधार पर जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक अर्द्धवार्षिक आधार पद देय	यथासम्भव प्रमाण रशीदें आदि
10.	पोषाक भत्ता	12000/–प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार	01.01. 2016	1–दिनांक 01.01.2016 से अबतक यदि आहरित किया जा चुका है ता अन्तर की धनराशि देय 2–यदि दिनांक 01.01.2016 से अबतक कोई आहरण नही किया गया है तो नये आवेदन के तहत नये दर से भुगतान होगा	यथासम्भव प्रमाण भुगतान प्रमाण पत्र, वेतन स्टेटमेन्ट आदि
11	प्रशासनिक कार्य हेतु विशेष वेतन	पद के अनुसार	01.01. 2019	1– जिला जज के स्तर की अधिकारी हेतु 7000/– प्रतिमाह 2–प्रथम अपर जिला जज एवं अन्य अपर जिला जज जिन्हे प्रशासानिक कार्य सौपा गया हैं हेतु 3500/7 प्रतिमाह 3–सी0जे0एम0 और प्रधान वरिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश जिनके पास दाखिला करने की शक्ति है हेतु 2000/– प्रतिमाह	यथासम्भव प्रमाण
12	सत्कार भत्ता	7800/– प्रतिमाह जिला जज स्तर 5800/– प्रतिमाह सिविल जज सी0डि0 3800/– प्रतिमाह सिविल जज जू0 डि0	01.01. 2016	1– चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल के जिला स्तर के अधिकारी हेतु देय प्रतिमाह से 1000 अतिरिक्त भी देय 2– सीजेएम हेतु देय प्रतिमाह से 1000 अतिरिक्त भी देय	——
13	स्थानान्तरण अनुदान	मूलवेतन के आधार पर	01.01. 2016	1– एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान माह के मूल वेतन के बराबर 2– स्थानान्तरण 20किमी या उससे कम दूरी होने पर मूलवेतन का 1/3 देय होगा।	यथासम्भव प्रमाण/ स्वप्रमाणित

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षित है कि वे उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी/आवेदन दिनांक 04.03.2024 को सांय 3 बजे तक उपरोक्त के एरियर के भुगतान का आगणन कर सत्यापित विवरण यथासम्भव प्रमाण सहित लेखानुभाग में प्रेषित करना सुनिश्चिति करेगें ताकि पुनः संशोधित डिमांड माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जा सके।

04/03/24

संलग्नक– प्रारूप

जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।

		H.J.S			Sr. Division			Jr. Division			
Sr. No.	Allowance	Paid	Payable as per New Rates	Differences	Paid	Payable as per New Rates	Differences	Paid	Payable as per New Rates	Differences	
1	Children Education Allowances										
2	Conveyance/Transport Allowances										
3	Dearness Allowances										
4	Earned Leave Encashment										
5	Electricity and Water Charges										
6	Higher Qualification										
7	Home Orderly /Domestic Help Allowances										
8	House Rent Allowances										
	HRA										
	Furniture & Air Conditioner Allownace										
	Maintenace										
9	Leave Travel Concessions/ Home Travel Concessions										
10	Medical Allowances										
11	News Paper / Magzine Allowances										
12	Robe Allowances										
13	Special Pay For Administrative work										
14	Sumptuary Allowances										
15	Telephone Facility										
16	Transfer grant/ Composite Grant Diff.										
17	Any Other Allownaces										
	Total										

हस्ताक्षर -
नाम -
पदनाम -

संलग्नक स्वप्रमाण पत्र के प्रारूप

घरेलू सेवक/घरेलू सेवक सहायता भत्ता स्व प्रमाण-पत्र –

मैं (नाम)................................. पदनाम...................................ने दिनांक 01.01.2020 से अपने आवास पर अंकन 10,000/- रूपये प्रतिमाह/अकुशल कामगार के लिये निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन पर घरेलू सेवक रखकर कार्य कराया जा रहा है। मुझे शासनादेश संख्या- 140/दो-4-2024-45(1)2020 टी.सी. दिनांकित 28.02.2024 के अनुक्रम में उक्त भत्ता 01.01.2020 से प्रदान किया जाये।

नाम
पदनाम

घरेलू सेवक/घरेलू सेवक सहायता भत्ता स्व प्रमाण-पत्र (सिविल जज स्तर के अधिकारीगण के लिये –

मैं (नाम)................................. पदनाम...................................ने दिनांक 01.01.2020 से अपने आवास पर अंकन 1500/- रूपये प्रतिमाह/अकुशल कामगार के लिये निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन पर घरेलू सेवक रखकर कार्य कराया जा रहा है। मुझे शासनादेश संख्या- 140/दो-4-2024-45(1)2020 टी.सी. दिनांकित 28.02.2024 के अनुक्रम में उक्त भत्ता 01.01.2020 से प्रदान किया जाये।

नाम
पदनाम

परिवहन भत्ता स्वप्रमाण पत्र –

मैं (नाम)..............................पदनाम.................. .... के द्वारा निम्न तालिका में दर्शाई गई अवधि के लिये निजी वाहन का उपयोग न्यायालय आने जाने के लिये किया गया है तथा सरकारी वाहन का उपयोग यदि कोई है, तो दर्शित किया जा रहा है-

मुझे शासनादेश संख्या- 140/दो-4-2024-45(1)2020 टी.सी. दिनांकित 28.02.2024 के अनुक्रम में उक्त भत्ता 01.01.2016 से अंकन 10,000/- रूपये प्रतिमाह तथा 01.01.2021 से अंकन 13,500/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जाये।

निजी वाहन उपयोग किये जाने की अवधि मय वाहन पंजीयन संख्या	सरकारी वाहन, यदि उपयोग किये जाने की अवधि

नाम
पदनाम

बाल शिक्षा भत्ता हेतु स्व प्रमाण-पत्र

न्यायिक अधिकारी का नाम ....

शैक्षणिक वर्ष	बच्चे का नाम	कक्षा	छात्रावास की सुविधा का उपयोग, यदि कोई है।	टिप्पणी
2019-2020				
2020-2021				
2021-2022				
2022-2023				
2023-2024				

नाम
पदनाम

अंडरटेकिंग

समक्ष- माननीय जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर (उ.प्र.)।

महोदय,

मेरे द्वारा शासनादेश संख्या- 140/दो-4-2024-45(1)2020 टी.सी. दिनांकित 28.02.2024 के सापेक्ष दिये जाने वाले भत्ते/प्रतिपूर्ति/अन्य सुविधाएं के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित धनराशि का आगणन मेरी जानकारी के अनुसार उचित रूप से सही व सत्य किया गया है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, यदि किसी त्रुटिवश मुझे अधिक धनराशि का भुगतान होता है, तो प्राप्त अधिक धनराशि को वह नियमानुसार वापस करेगें तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायीं होगें।

(हस्ताक्षर)................

नाम.................

पदनाम................